

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ 2024/9496

दिनांक : 28-09-2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषय :- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 में रेण्डमाइजेशन, आरक्षित मशीन तैयार करने एवं मतदान पश्चात् मशीनों के संग्रहण के संबंध में।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से विभिन्न चरणों में सम्पादित कराये जायेंगे। "सभी चरणों की मतगणना का कार्य एक ही दिन करवाया जाकर परिणाम घोषित किया जाएगा।

1. मशीनों का भंडारण एवं FLC:- प्रत्येक जिले की पंचायतीराज संस्थाओं में जिन मॉडल की मशीनों से चुनाव सम्पादित कराये जाने हैं, वे मशीनें जिला स्ट्रांग रूम में भंडारित हैं। आम चुनावों में प्रयुक्त होने वाली जिला स्तर पर भंडारित समस्त मशीनों की FLC (FLC के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए) शीघ्र ही सम्पन्न करा ली जाये। FLC उपरान्त समस्त FLC-OK मशीनों को जिला स्तर पर स्ट्रांग रूम (स्ट्रांग रूम के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए) में ही भंडारण किया जाये।

2. प्रशिक्षण हेतु वोटिंग मशीनों की छंटनी एवं प्रशिक्षण:-जिले में उपलब्ध FLC-OK मशीनों की 5% मशीनें प्रशिक्षण के लिए उपयोग ली जायेंगी। प्रशिक्षण हेतु रेण्डमाइजेशन कर 5% मशीनें प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कर ली जाये। esuchi सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाली गई इन 5% मशीनों से समस्त चरणों के लिये, जिला स्तर पर मतदान दलों को प्रथम एवं द्वितीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3. नाम निर्देशन प्रक्रिया:- "पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के समस्त चरणों की नाम निर्देशन प्रक्रिया एक साथ सम्पादित करवाई जायेगी।" संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन प्रक्रिया जिला परिषद सदस्यों के लिए जिला स्तर पर तथा पंचायत समिति सदस्यों के लिए पंचायत समिति स्तर पर सम्पन्न कराई जायेगी।

4. प्रथम रेण्डमाइजेशन प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के लिए:- प्रथम रेण्डमाइजेशन का कार्य esuchi सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला स्तर पर सम्पन्न कराया जायेगा। जिन पंचायत समितियों का मतदान प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में होना है, उनके उपयोग में ली जाने वाली मशीनों का प्रथम रेण्डमाइजेशन एक साथ प्रथम चरण के मतदान दिनांक से 5-7 दिन पूर्व करा लिया जायें। प्रथम रेण्डमाइजेशन में मतदान केन्द्रों का 130% मशीनें, प्रथम चरण के मतदान हेतु (मतदान केन्द्र + आरक्षित मशीन) तथा 130% मशीनें द्वितीय चरण के मतदान हेतु पंचायत समिति वार आवंटित कर दी जाये। इस प्रकार पंचायत समिति स्तर पर 30% आरक्षित मशीनों के रूप में उपलब्ध रहेगी। प्रथम रेण्डमाइजेशन के पश्चात् मशीनें जिला स्तर पर स्ट्रांग रूम में पंचायत समिति वार रखी जायेगी।

5. **प्रथम रेण्डमाइजेशन तृतीय चरण के लिए:-** प्रथम चरण के मतदान उपरान्त शेष बची अप्रयुक्त आरक्षित मशीनों को शामिल करते हुये तृतीय चरण के लिए मशीनों के प्रथम रेण्डमाइजेशन का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा। तृतीय चरण के लिए प्रथम रेण्डमाइजेशन का कार्य तृतीय चरण के मतदान दिवस से 5-7 दिन पूर्व करा लिया जाये। तृतीय चरण के लिये भी मतदान केन्द्रों के 130% मशीनों को प्रथम रेण्डमाइजेशन कर पंचायत समिति वार आवंटन कर दिया जाये।

6. **प्रथम रेण्डमाइजेशन चतुर्थ चरण के लिए:-** द्वितीय चरण के मतदान उपरान्त शेष बची अप्रयुक्त आरक्षित मशीनों को शामिल करते हुये चतुर्थ चरण के लिए मशीनों के प्रथम रेण्डमाइजेशन कार्य सम्पन्न कराया जाये। चतुर्थ चरण के लिए प्रथम रेण्डमाइजेशन का कार्य चतुर्थ चरण के मतदान दिवस से 5-7 दिन पूर्व करा लिया जाये। चतुर्थ चरण के लिये भी मतदान केन्द्रों के 130% मशीनों को प्रथम रेण्डमाइजेशन कर पंचायत समिति वार आवंटन कर दिया जाये।

उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण की अप्रयुक्त आरक्षित मशीनें तीसरे चरण के लिए तथा द्वितीय चरण की अप्रयुक्त आरक्षित मशीनें चतुर्थ चरण के लिए काम में ली जानी है।

नोट:- जिन जिलों में मतदान तीन, दो अथवा एक चरण में सम्पादित हो रहे हैं, उन जिलों में उपलब्ध मशीनों की संख्या के आधार पर आरक्षित मशीनों के प्रतिशत का निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं के स्तर पर ले सकेंगे।

7. **मतपत्रों का मुद्रण:-** मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर समस्त चरणों के लिये एक साथ सम्पन्न करवा लिया जाये तथा मतपत्रों को डबल लॉक में रखा जाये।

8. **द्वितीय रेण्डमाइजेशन एवं मशीनों की तैयारी:-** द्वितीय रेण्डमाइजेशन का कार्य esuchi सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला स्तर पर सम्पन्न करवाया जायेगा। द्वितीय रेण्डमाइजेशन एवं मशीनों की तैयारी चरणवार मतदान दिवस के 3-4 दिवस पूर्व सम्पन्न कर ली जाये। द्वितीय रेण्डमाइजेशन में पंचायत समिति वार, (प्रथम चरण रेण्डमाइजेशन में) आवंटित मशीनों को, मतदान केन्द्र वार (बूथ वार) मय आरक्षित मशीनों को रखा जायेगा। जिला स्तर पर ही, मतदान केन्द्र वार आवंटित मशीनों की कमीशनिंग का कार्य सम्पादित कर मशीनों को मतदान केन्द्र वार चुनाव हेतु तैयार कर लिया जाये। पंचायत समिति वार समस्त मतदान केन्द्रों के लिए तैयारशुदा मय आरक्षित मशीनों का भंडारण जिला स्तर पर स्ट्रॉंग रूम में किया जायेगा।

9. **मतदान मशीनों का वितरण:-** मतदान दलों को रवानगी के समय तैयारशुदा मतदान मशीनों का वितरण जिला स्तर से कराया जायेगा।

10. **आरक्षित मशीनों की तैयारी:-** आरक्षित मशीनों को संबंधित पंचायत समिति स्तर पर रखा जायेगा। कौनसी आरक्षित मशीन किस जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या तथा पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या के किस मतदान केन्द्र पर काम आयेगी, यह किसी को ज्ञात नहीं होता है।

ऐसी स्थिति में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र संख्या के जिस मतदान केन्द्र पर आरक्षित मशीन की आवश्यकता हो उससे संबंधित मतपत्र को आरक्षित

मशीन पर लगाकर तत्काल पंचायत समिति स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञ/कम्पनी इन्जीनियर से तैयार कराया जायेगा। उक्त तैयारशुदा आरक्षित मशीन को जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुँचाया जायेगा।

यदि MPSV एवं MPMV मॉडल की मशीन काम में ली जा रही है तो ऐसी आरक्षित मशीन को तैयार करने के दौरान केन्डीडेट सैट करते समय 'Enter Ward no.' में चार अंकों के लिए निर्धारित स्थान में प्रथम दो अंक जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या के तथा अगले दो अंक पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या के इन्द्राज किये जायेंगे।

उदाहरण:- यदि जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 है तथा पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 51 है तो वार्ड न. 1151 अंकित किया जायेगा।

इसी प्रकार 'Enter Booth no.' में पंचायत समिति के अन्तर्गत जिस बूथ पर आरक्षित मशीन की आवश्यकता है उस बूथ का क्रमांक इन्द्राज किया जायेगा।

उदाहरण:- यदि बूथ का क्रमांक 189 है तो Booth no. 189 अंकित किया जायेगा।

नोट:- तैयार की जा रही समस्त मशीनों का END बटन MASK रहेगा।

11. मतदान के पश्चात् प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त मशीनों का संग्रहण एवं भंडारण:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 हेतु जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण के मतदान के तत्काल पश्चात् संबंधित जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट की देखरेख में अपने क्षेत्र से संबंधित मतदान दलों के सहायक मतदान अधिकारी-प्रथम द्वारा मशीनें तथा अन्य सामग्री (लिफाफे) पंचायत समिति स्तर पर जमा करायी जायेगी। संबंधित जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रत्येक चरण में मतदान समाप्ति के तत्काल पश्चात् उनसे संबंधित मतदान दलों के सहायक मतदान अधिकारी-प्रथम, सहायक मतदान अधिकारी-चतुर्थ एवं सुरक्षाकर्मी (पुलिस) को साथ लेकर उनके मतदान केन्द्र से संबंधित सीलबंद मशीनें एवं अन्य सामग्री अपने क्षेत्र से संबंधित पंचायत समिति के निर्धारित संग्रहण स्थल पर ले जाकर सहायक मतदान अधिकारी- प्रथम के माध्यम से जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रयोजनार्थ जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों को आवंटित मतदान केन्द्रों से संबंधित आवश्यक वाहन (ट्रक, बस) उपयोग में लिया जाये। संबंधित जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट पंचायत समिति हेतु निर्धारित संग्रहण स्थल पर सीलड मशीनें तथा अन्य सामग्री जमा होने के पश्चात् पुनः संबंधित सहायक मतदान अधिकारी-प्रथम, सहायक मतदान अधिकारी-चतुर्थ एवं सुरक्षाकर्मी को उनके ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि में ही वापस पहुंचाना सुनिश्चित करें, साथ ही जिस मतदान दल के वाहन का उपयोग उक्त कार्य हेतु किया गया है, उसे भी यथास्थान वापस पहुंचाना सुनिश्चित करें।

संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा पंचायत समिति स्तर पर मशीनें एवं अन्य सामग्री के संग्रहण बाबत व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगी। पंचायत समिति स्तर पर संग्रहित मशीनें एवं अन्य सामग्री संग्रहण के तत्काल पश्चात् परिवहन आदि (मय पुलिस जाब्ता) की पूर्ण व्यवस्था कर जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति से संबंधित संग्रहण स्थल पर जमा करवाना सुनिश्चित करावें। रिटर्निंग अधिकारी संग्रहण करते समय प्रयुक्त, अप्रयुक्त एवं खराब मशीनों का संग्रहण अलग-अलग

हिस्से में ठीक प्रकार से करावें, क्योंकि अप्रयुक्त आरक्षित मशीनों को FLC करवाने उपरांत अगले चरण में उपयोग लिया जाना है।

12. मतगणना:- समस्त चरणों के लिए मतगणना का कार्य जिला स्तर पर एक साथ सम्पन्न कराया जायेगा।

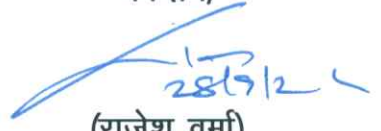
वोटिंग मशीनों की सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया:-

- I. वोटिंग मशीनों की विभिन्न स्तरों पर की गई गतिविधियों यथा वोटिंग मशीनों की तैयारी, वोटिंग मशीनों की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम की सीलिंग, ईवीएम मशीनों का परिवहन, भण्डारण, वितरण, मतगणना, ईवीएम, कमीशनिंग, ईवीएम मशीनों के रजिस्टर का संधारण, आदि प्रक्रियाओं में आयोग द्वारा जारी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जाये। साथ ही राजनीतिक दलों को भी समस्त प्रक्रिया से सूचित करवाना सुनिश्चित करें।
- II. वोटिंग मशीनों को निर्धारित स्थानों एवं अलग-अलग स्तर पर सुरक्षित रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है। अतः जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

उक्त समस्त प्रक्रिया के संबंध में जिलों की स्थिति/परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) यदि कोई परिवर्तन करना चाहें तो राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करते हुए निर्णय ले सकेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,



(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : एफ.7(1)(1)/रानिआ/ 2024/9497-9500

दिनांक : 28-09-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी माफत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को समस्त संबंधितों को ई-मेल करवान हेतु।



सहायक सचिव